

प्रेषित:- श्रीमान निदेशक महोदय
निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषय:-जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय द्वारा अवैध खनन/ निर्गमन/ भण्डारण की चैकिंग के दौरान जब्त की खनिज बजरी की नीलामी हेतु निविदाएं सीलबंद लिफाफे में दिनांक 07.09.2020 सायंकाल 5 बजे तक कार्यालय खनि अभियंता, नागौर (खनिज भवन, कॉलेज रोड़, स्टेडियम के सामने, नागौर) के कमरा संख्या 02 में आमंत्रित की जाती है प्राप्त सील बंद लिफाफे में दिनांक 08.09.2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कमरा संख्या 02 में खोली जायेगी, के संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किये जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के एक अंक में न्यूनतम स्थान में डीआईपीआर दरों पर प्रकाशित विज्ञप्ति करवाई जाती है।

इस हेतु प्रेस विज्ञप्ति तैयार कर 8 सेट हार्ड कॉपी में मय सीडी इस कार्यालय के कार्मिक श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी के साथ प्रेषित कर निवेदन है कि प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(धीरज पंवार)
खनि अभियंता,
नागौर

क्रमांक:-सम/922

दिनांक:-11-08-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी, कार्यालय हाजा, को दी जाकर लेख है कि आप दिनांक 19.08.2020 को कार्यालय निदेशक महोदय, निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर उक्तानुसार प्रेस विज्ञप्ति दी जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे।


खनि अभियंता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
नागौर

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नागौर
Office Of the Mining Engineer, Department Of Mines&Geology, Nagaur
(Phone No. 01582-240038, E-Mail -ME.Nagour@RAJASTHAN.GOV.IN)

प्रेस विज्ञापित:-

नागौर जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं (दरें) दिनांक 07.09.2020 (सांय 5 बजे तक) कार्यालय खनि अभियंता, नागौर के कमरा नम्बर 02 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सिलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 08.09.2020 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 02 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स.	स्थान का नाम(जहां जब्तशुदा बजरी पड़ी है।)	बजरी की अनुमादित मात्रा(टनों में)	बयाना/अमानत राशि रु	न्यूनतम निविदा राशि रु
1.	पुलिस थाना, खुनखुना	440 टन	17,160/-	171,600/-

निलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

1. निविदा सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफें पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिये। सभी निविदायेंक कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के कमरा नम्बर 02 पर रखें टेन्डर बॉक्स में दिनांक 07.09.2020 (सांयकाल 5 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता, नागौर के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिए निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बेकर्स चैक अलग-अलग की संलग्न करने होंगे। निविदा राशि 10 रु प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के तकनिकी स्टाफ से ली जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जेसी भी जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदायें कमेटी द्वारा दिनांक 08.09.2020 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के कमरा नम्बर 02 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ-साथ संबंधित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। राशि जमा होने की तिथी से 5 एवं अधिकतम् 6 दिवस में समस्त बजरी उतानी होगी। अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्च) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।

8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म कें मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ अर्टिकल, निवेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पस सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिम क्षेत्र नागौर होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर द्वारा वाहन के वनज क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेंगे तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. सफलतम निविदादाता को बजरी परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस ही अनुमत होगा।
13. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
14. तुलाई के बाद वाहनों निर्गमन से पूर्व उनका इंद्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता(सतर्कता) को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वनज पर्ची क्षेत्र में संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
16. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटों वाहनों की तोल पर्वियां एवं भर हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
21. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।



(धीरज पंवार)

खनि अभियन्ता

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

नागौर

दिनांक:-11.08.2020

क्रमांक:-सम/ 23-35

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, नागौर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, नागौर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., खान एवं भू-विज्ञान विभाग निदेशालय, उदयपुर।
5. वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर-जोन, जयपुर।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, अजमेर-वृत, अजमेर।
8. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता(सतर्कता), अजमेर।

